

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2) एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक- 08.08.2019 एवं एफ1(2) एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक 25.10.2019 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोवेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र /निजी कारणों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि / राबाउमावि	अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1	प्रीति कुमारी उपाध्याय व्या. इतिहास	राउमावि बिलौना कलां-तालसोट-दौसा	12.11.2018 से 21.11.2018 27.11.2018 से 30.11.2018 11.03.2019 से 22.03.2019 23.03.2019 से 26.03.2019	10 दिवस 04 दिवस 12 दिवस 04 दिवस कुल 30 दिवस
2	नीरू यादव व्या. इतिहास	राउमावि पीपला-फागी-जयपुर	30.07.2018 से 04.08.2018 11.09.2018 से 12.09.2018 04.10.2018 से 06.10.2018 12.10.2018 से 13.10.2018	06 दिवस 02 दिवस 03 दिवस 02 दिवस कुल 13 दिवस
3	महिपाल यादव व्या. इतिहास	राउमावि पावली-जसवन्तपुरा- जालोर	30.07.2018 से 06.08.2018 18.02.2019 से 27.02.2019 15.07.2019 से 20.07.2019 07.02.2020 से 12.02.2020	08 दिवस 10 दिवस 06 दिवस 06 दिवस कुल 30 दिवस
4	अनुरंग सागर सिंह खांगरोत व्या. इतिहास	राउमावि पाचौली- मण्डरायल-करौली	24.12.2018 से 24.12.2018 20.02.2019 से 23.02.2019 22.03.2019 से 25.03.2019 24.06.2019 से 27.06.2019	01 दिवस 04 दिवस 04 दिवस 04 दिवस कुल 13 दिवस

संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा उक्त कार्मिकों की सेवा पुरितका में असाधारण अवकाश का इन्द्राज किया जावे। स्वीकृत असाधारण अवकाश का यदि वेतन आहरित किया गया है तो उसका नियमानुसार समायोजन करें।


(सौरभ स्वामी)
IAS

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 22/10/2020

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/स्थायी/अ.अवकाश/18-19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ. 1(2)एफ.डी.(रूल्स)/2006 पार्ट-I जयपुर, दिनांक: 11.06.2014 एवं संशोधित 'परिपत्र' दिनांक: 07.08.2014 एवं 08.08.2019 एवं राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक: प.7(97)शिक्षा-2/2018 जयपुर, दिनांक: 23.09.2020 की अनुपालना में निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परिवीक्षाकाल की अवधि में (90 दिवस के अतिरिक्त) उनके नाम के सामने अंकित अवधि के उपभोग किये गये अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है-

क्रं.सं.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	लिये गये अवकाश का विवरण	दिवसों की संख्या	कुल दिवस
01.	श्रीमती वाणी दुबे, व्याख्याता (भौतिक), लोरडी देजगरा (जोधपुर)	21.11.2017 से 30.11.2017 तक 01.12.2017 से 31.12.2017 तक 01.01.2018 से 31.01.2018 तक 01.02.2018 से 28.02.2018 तक 01.03.2018 से 31.03.2018 तक 01.04.2018 से 30.04.2018 तक 01.05.2018 से 31.05.2018 तक 01.06.2018 से 14.06.2018 तक	10 31 31 28 31 30 31 14	कुल 206 दिनों का 'असाधारण अवकाश'


यदि कार्मिक को सम्पूर्ण 'असाधारण अवकाश' अवधि 296 दिवस के वेतन का भुगतान कर दिया गया है तो संबंधित संस्था प्रधान उसकी वसूली कर राजकोष में जमा करवाये एवं उक्त अवकाश अवधि के लेखे का कार्मिक की 'सेवा-पुस्तिका' में इन्द्राज करें। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 11.06.2014 एवं संशोधित 'परिपत्र' दिनांक: 07.08.2014 एवं 08.08.2019 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परिवीक्षाकाल में कुल 266 (206+60)दिवस की वृद्धि होगी तथा बढ़ी हुई अवधि में और 'असाधारण अवकाश' लेने पर परिवीक्षाकाल में तदनुसार उतनी ही वृद्धि होगी।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक: 22/10/2020

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-3/प्रो.ट्रे./अवकाश/2014/2019/43
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय)।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
6. संबंधित प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोरडी देजगरा (जोधपुर)।
7. संबंधित कार्मिक श्रीमती वाणी दुबे, व्याख्याता (भौतिक), राउमावि लोरडी देजगरा (जोधपुर)।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)